रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-602/2026/623/22-2-2026-17(178)/2026
लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेन्द्र (बन्दी संख्या-396/2024) पुत्र श्री माखन लाल पासी ग्राम-नेरिया परसिया, थाना-लहरपुर, जनपद-सीतापुर का है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-352/2012 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 व 3/25(1-बी) ए एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी.एक्ट) सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 23.11.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 08 माह, 19 दिन तथा 06 वर्ष, 11 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक/अच्छा जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-602/2026/623(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक सीतापुर।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को क्रिमिनल अपील नं0-237/2025 राजेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 24.03.2026 के सन्दर्भ में।
5- अधीक्षक, जिला कारागार सीतापुर।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।